म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, भोपाल

क्र. ... /बोर्ड/स्थी/13-5/ 273 भोपाल, दिनांक 23 / 05 / 2013

प्रति,

सचिव, (समस्त)
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला .... (म.प्र.)

विषय:- मण्डी समितियों में किराये का वाहन लेने के संबंध में।

संदर्भ :- बोर्ड मुख्यालय का पत्र कमांक बी-3/4/विविध/519/1369-1370 दि. 11.8.2000

-0-

कृषि उपज मण्डी समितियों में किराये का वाहन लेने के संबंध में संदर्भित पत्र से निर्देश जारी किये गये थे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त निर्देश व्यवहारिक रूप से नही होने से एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। मण्डी समितियों में किराये का वाहन निम्न शर्तो के अध्याधीन लेने हेतु निर्देशित किया जाता है।

01. जिन मण्डी समितियों में वाहन चालक के पद स्वीकृत नही है केवल उन्ही मण्डी समितियों को एक वाहन किराये पर लेने की पात्रता होगी। जिन मण्डी में वाहन चालक का पद स्वीकृत है परंतु वाहन चालक पदस्थ नही है वहां पर भी वाहन चालक पदस्थ होने तक वाहन किराये पर लेने संबंधी प्रकिया का पालन किया जाएगा।

02. वाहन किराये पर लेने की सक्षम स्वीकृति आंचलिक संयुक्त संचालक कार्यालय से प्राप्त करना होगी।

03. स्वीकृति के लिये भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ संलग्न पत्रक की पूर्ति कर आंचलिक संयुक्त संचालक/उपसंचालक को भेजे जावे।

04. वाहन किराये पर लेने हेतु म0प्र0 भण्डार कय नियमों के अनुसार मार्गदर्शी प्रकिया अपनाकर निविदा के माध्यम से ही दरे प्राप्त की जाये।

05. म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के पत्र कमांक एल-17/9/09/नियम/चार दिनांक 19 अगस्त 2009 में दिये गये निर्देशानुसार एम्बेसेडर कार के मूल्य के समतुल्य कीमत का वाहन किराये पर लिया जावे।

06. शासकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु सामान्यतः लोक वाहक से यात्रा की जाना होगी। अपरिहार्य स्थिति में मण्डी अध्यक्ष द्वारा मण्डी क्षेत्र से बाहर की यात्रा करने पर अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी (मण्डी बोर्ड मुख्यालय) से पूर्व में लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगी।

07. वाहन किराये पर लेने के लिये स्वीकृति एक वित्तीय वर्ष के लिये प्रभावशील होगी। आगामी वर्ष के लिये पुनः स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा।

08. किराये की वाहन की अवधि में प्रत्येक तिमाही की उपलब्धता की प्रगति से संबंधित आंचलिक संयुक्त/उपसंचालक को अवगत कराना होगा।

09. किराये पर लिये जाने वाला वाहन 02 वर्ष से अधिक पुराना न हो।

10 केवल उन्ही मण्डी समितियों को वाहन किराये पर लेने की पात्रता होगी जिनके द्वारा मंडी शुल्क, बोर्ड ऋण, पेंशन निधि, वैधानिक निधियाँ आदि समय पर जमा कराई गई है, उनके ऊपर कोई भी राशि देय नही हो तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि की राशि बकाया न हो।

11 किराये पर लेने वाले वाहन का किराया, उसका संधारण एवं वाहन चालक सहित वाहन की दरें आमंत्रित की जाए। वाहन मे लगने वाले पी.ओ.एल. (डीजल/पेट्रोल) मण्डी के द्वारा देय होगा। किराये पर लिये जाने वाले वाहन मे प्रतिमाह पी.ओ.एल. की मात्रा (खपत) वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

12 म0प्र0 शासन वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं म0प्र0 भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जाकर वाहन किराये पर लेने के लिये कार्यवाही सुनिश्चित हो।

किराये पर वाहन लेने के संबंध मे उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/13–5/ भोपाल, दिनांक /06/2013

प्रतिलिपि:–

(1) संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ... की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति देने के पूर्व यह अवश्य परीक्षण कर लेवें की निर्देश पेरा (11) की मण्डी समिति के द्वारा पूर्ति कर ली गई हो। यह भी आपकी जिम्मेदारी होगी की वाहन किराये पर लेने के संबंध मे जारी सभी दिशा–निर्देशों का पालन/पूर्ति संबंधित मण्डी समिति के द्वारा की गई है।

अपर संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल